राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	2590/2023 भारत भूषण सैनी	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर। 3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर। 4. खंड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ब्लॉक पीपराली, सीकर।	03.10.2023	श्री संदीप कलवानियां, अभिभाषक
2.	2592/2023 अनीता शर्मा	1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर। 3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ब्यावर।		

आदेश की दिनांक : 03.10.2023

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त दोनों अपीलों पर सुनवाई की गई।

उपरोक्त वर्णित दोनों अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः दोनों अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2590/2023 भारत भूषण सैनी बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में लैब टेक्निशियन के पद पर सीएचसी, पीपराली, जिला सीकर में कार्यरत है एवं वर्तमान में अपीलार्थी को वरिष्ठ लैब टेक्निशियन के पद पर आदेश दिनांक 29.09.2023 के द्वारा पदोन्नत किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश में कार्मिक से तीन रिक्त पद पर पदोन्नति उपरांत पदस्थापन हेतु विकल्प पत्र मांगा गया और पदस्थापन के संबंध में प्रारूप में तीन रिक्त वांछित पदस्थापन स्थान का विकल्प पत्र निदेशालय को भेजने हेतु आदेशित किया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने उक्त

आदेश के क्रम में दिनांक 04.08.2023 को रिक्त पद दर्शाते हुए पदस्थापन के संबंध में विकल्प पत्र भरकर विभाग को प्रस्तुत किया, परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को उसके द्वारा विकल्प पत्र में भरे गए रिक्त पद स्थान पर पदस्थापित न करते हुए अन्यत्र स्थान पर पदस्थापित कर दिया, जो नीति एवं निर्देशों के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी को विकल्प पत्र में दर्शाए गए रिक्त पदों में से किसी एक रिक्त पद पर पदस्थापित किया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि आलोच्य आदेश दिनांक 29.09.2023 का क्रियान्वयन अपीलार्थीगण के पदस्थापन के संबंध में अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थीगण को वहीं पर कार्यरत रखा जावे जहां पर वे चुनौती आदेश पारित किए जाने से पूर्व कार्यरत थे। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थीगण को उनके द्वारा दिए हुए विकल्प पत्र में दर्शाए गए रिक्त पदों के आधार पर स्थान पर 7 दिवस में पदस्थापन आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र है। विलम्ब से पदस्थापन किए जाने के कारण अपीलार्थीगण की वरिष्ठता पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अतः उपरोक्त निर्देशों के साथ उपर्युक्त तालिका में वर्णित दोनों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अंतिम रूप से निस्तारित की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 2590/2023 भारत भूषण सैनी बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य अपील संख्या 2592/2023 अनीता शर्मा में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य